FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0036 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/02/2024 14:34 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 21/02/2024 **Date To (दिनांक तक):** 22/02/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 18:36 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/02/2024 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/02/2024 14:34:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 25 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Gram Badhli Ki Dhanee, Mundavar P. S.Ttarpur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Sundaram

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Prahlad Ram

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1951 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Badlee ki Dhanee, Mundavar, TATARPUR, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Badlee ki Dhanee, Mundavar, TATARPUR, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8875746634

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Manoj Kumar		पिता:Mahendar Kumar Meghwal	1. Vilage Beroj,Mundavar, TATARPUR,खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 21-02-2024 को समय 1.15 पी.एम. पर श्री पीयूष दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,ए.सी.बी. चौकी अलवर के समक्ष परिवादी श्री सुण्डाराम पुत्र श्री प्रहलाद राम, जाति जाट, उम्र 73 वर्ष, निवासी-ग्राम बडली की ढाणी, तहसील मुण्डावर, थाना ततारपुर, जिला खैरथल- तिजारा ने उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी. अलवर प्रथम विषयः- ग्राम पंचायत बडली मै तैनात पटवारी मनोज कुमार को रिश्वत लेते हुए पकडवाने हेतु। महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्राथी सुन्डारम S/O श्री प्रहलाद राम ग्राम बडली की ढाणी त. मुण्डावर जिला अलवर (खैरथल - तिजारा) का निवासी हूँ मेने मेरे गाँव मे 4 बिस्वा कृषि भुमि खरीदी थी जिसकी रजिस्टरी अक्टूम्बर 2023 मे मेरी पतिनी विधा देवी के नाम करवाइ थी मेने उक्त भूमि का नामान्तकरण चढाने हेतु मेरी रजिस्ट्री लगभग 2-3 माह पूर्व हमारे पटवार हल्के के पटवारी श्री मनोज कुमार को दी थी दिनांक 21.2.2024 को लगभग 12 बजे आस पास मनोज पटवारी का मो.नं. 9694224417 से मेरे मो. न. 8875746634 पर फोन आया तो उक्त पटवारी ने मेरे से नामान्तकरण चढाने की एवज मे 30,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की तथा रिश्वत नही देने पर मेरी पत्नि के नाम उक्त जमीन का नामान्तकरण नही चढाने की कह रहा है श्रीमान मे उक्त रिश्वतखोर पटवारी की रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहाता हू आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे। प्राथी सुन्डाराम, गाँव बडली की ढाणी 8875746634" जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री सुण्डाराम को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री सुण्डाराम ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि " मैंने अपने गॉव में श्री सुनिल चौधरी से 4 बिस्वा कृषि भूमि खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री मैंने अपनी पत्नि श्रीमती विधा देवी के नाम से दिनांक 20.10.2023 को उप पंजीयक कार्यालय मुण्डावर में करवाई थी। मैंने उक्त भूमि का नामान्तकरण मेरे पत्नि के नाम से खुलवाने हेतु उक्त रजिस्ट्री लगभग 2-3 माह पूर्व हमारी ग्राम पंचायत बडली में कार्यरत हमारे पटवार हल्का रानोठ के पटवारी श्री मनोज कुमार को दे दिया था। आज दिनांक 21.02.2024 को लगभग 12 बजे के आस-पास हमारे हल्का पटवारी श्री मनोज कुमार का उसके मोबाईल नं0 9694224417 से मेरे मोबाईल नं0 8875746634 पर फोन आया और श्री मनोज कुमार पटवारी ने मेरे से कहा कि आपने विधा देवी की जो रजिस्ट्री मुझे दी है, उस रजिस्ट्री का विधा देवी के नाम से नामान्तकरण खोलने के 30 हजार रू0 रिश्वत के मुझे देने पडेगे तथा रिश्वत नही दोगे तो मैं इसका नामान्तकरण नही खोलूंगा। श्रीमान जी मैं उक्त रिश्वतखोर पटवारी पटवार हल्का रानोठ को रिश्वत नही देकर उसे रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हॅू। पूछताछ के दौरान परिवादी ने यह भी बताया कि उसकी, श्री मनोज कुमार, पटवारी पटवार हल्का रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री सुण्डाराम ने अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की छायाप्रति एव उसकी पत्नि विधा के नाम से उप पंजीयक कार्यालय मुण्डावर में करवाई गई रजिस्ट्री की ई-स्टाम्प रसीद की छायाप्रति पर स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं उस पर की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाने पर समय 02.00 पी0एम0 पर श्री पीयूष दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर ने मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री सुण्डाराम पुत्र श्री प्रहलाद राम, निवासी बडली की ढाणी, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा से मेरा आपसी परिचय करवाते हुए उक्त परिवादी द्वारा आज दिनांक 21.02.2024 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय कार्यवाही पुलिस एवं परिवादी श्री सुण्डाराम के सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी द्धारा ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मय कार्यवाही पुलिस मय परिवादी श्री सुण्डाराम को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आकर परिवादी द्धारा ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र एवं उक्त पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्धारा की गई कार्यवाही पुलिस का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री सुण्डाराम द्धारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं कार्यवाही पुलिस में अंकित समस्त तथ्यों की ताईद की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री सुण्डाराम को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु अवगत करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक

21.02.2024 को समय 02.30 पी.एम. पर कार्यालय की अलमारी से श्री महेश कुमार कानि0 462 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया खाली एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB लगाकर परिवादी श्री सुण्डा राम को चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर परिवादी के समक्ष श्री महेश कुमार कानि. 462 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी एवं श्री महेश कुमार कानि. को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत राशि की माँग के गोपनीय सत्यापन हेतु ततारपुर के लिये रवाना किया। समय 05.30 पी0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि. 462 मय परिवादी श्री सुण्डाराम सहित बाद रिश्वत माँग सत्यापन के ब्यूरों कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आया और श्री महेश कुमार कानि. ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओ का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिवादी श्री सुण्डाराम ने बताया कि " आज मैं व आपके कार्यालय का कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर से रवाना होकर पटवार घर ततारपुर के पास पहुंचे, जहां पर श्री महेश कुमार कानि0 ने ए.सी.बी. का विभागीय टेप रिकार्डर चालू कर मुझे दिया, जिसको मैं अपने साथ लेकर पटवार घर ततारपुर में गया, जहा पर मुझे हमारे पटवार हल्का रानोठ का पटवारी श्री मनोज कुमार मौजूद मिला। जिससे मैंने मेरी पत्नि के नाम से नामान्तकरण खोलने के सम्बन्ध में बातचीत की तो श्री मनोज कुमार पटवारी ने मेरी पत्नि श्रीमती विद्या देवी का नामान्तकरण खोलने की एवंज में 20 हजार रू0 रिश्वत की मांग की तथा रिश्वत की राशी कल दिनांक 22.02.2024 को देने के लिये कहा है। मेरे व संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने ए.सी.बी. के टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं श्री महेश कुमार कानि. के पास आया और रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं का टेप रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि. को दे दिया था, जिसको श्री महेश कुमार कानि. ने बन्द कर अपने पास रख लिया था। जिसको श्री महेश कुमार कानि, ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद मैं व श्री महेश कुमार ततारपुर से रवाना होकर ब्यूरों कार्यालय अलवर आ गये।" पूछने पर श्री महेश कुमार कानि0 ने भी परिवादी द्धारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद की। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डरशुदा वार्ताओं के प्रस्तुत डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी द्धारा परिवादी श्री सुण्डाराम की पत्नि श्रीमती विधा देवी का नामान्तकरण खोलने की एवज में 20 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना तथा रिश्वत राशि 20 हजार रू0 दिनांक 22.02.2024 को देने के लिये परिवादी को कहना पाया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को अपने पास सुरक्षित रखा गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने के कारण उनकी तलबी हेतु अधीक्षण अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, अलवर को पत्र जारी कर दो सरकारी कर्मचारी ब्यूरों की गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह हेतु पाबन्द कर दिनांक 22.02.2024 को 09.30 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में भिजवाने हेतु अवगत करवाया गया। दिनांक 21.02.2024 को ही समय 06.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री सुण्डाराम को दिनांक 22.02.2024 को संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20 हजार रू0 अपने साथ लेकर प्रातः समय 09.30 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया। दिनांक 22.02.2024 को समय 09.30 ए0एम0 पर परिवादी श्री सुण्डाराम ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया और संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20 हजार रू0 अपने साथ लेकर आना तथा संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी द्वारा उसको रिश्वत की राशि ततारपुर चौराहा पर लेकर बुलाने के लिए बताया है। समय 09.35 ए0एम0 पर तलबशुदा श्री सुखराम, अभियन्ता पर्यवेक्षक (ईएस) एवं श्री तनु शर्मा, वाणिज्यिक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-4 (पवस), जयपुर डिस्कॉम अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन पुलिस निरीक्षक ने आपसी परिचय कर उनका पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री सुण्डाराम से आपसी परिचय करवाकर गवाहान को परिवादी श्री सुण्डाराम द्वारा दिनांक 21.02.2024 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना -पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया तथा दिनांक 21.02.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को राजकीय लैपटॉप की सहायता से चालू कर टेबल स्पीकर के माध्यम से रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ताऐं सुनाई गई तो उन्होने भी संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि की माँग करना सत्यापित होना माना। तत्पश्चात समय 10.15 ए0एम0 पर उक्त दोनों गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सुण्डाराम से संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार, पटवारी को रिश्वत मे दी जाने वाली राशी पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये निकाल कर पेश किये। जिन नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर श्री रामसिंह कानि0 549 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा उक्त राशि 20 हजार रूपये के समस्त नोटो पर श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री सुण्डाराम की जामा तलाशी गवाह श्री तनु शर्मा, वाणिज्यिक सहायक प्रथम से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/ राशि/ वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त

नम्बरी नोट 20,000/- रूपये श्री रामसिंह कानि0 549 से परिवादी श्री सुण्डाराम के पहने हुये कुर्ते की बगल की दाहिनी जेब में रखवाये गये। श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर उसकी उपयोगिता एवं महत्त्व के बारे मे परिवादी एवं गवाहान को समझाईश की गई। परिवादी श्री सुण्डाराम को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर बंधी हुई स्वाफी (तौलिये) को सिर से उतारकर/ सिर पर हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/ कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करने की समझाईश की गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि0 549 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं टै्रप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेप बाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को रिश्वत राशि लेन-देन के समय आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 21.02.2024 की रिश्वतमांग सत्यापन के समय की रिकार्ड शुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी के कुर्ते की बगल की बांयी जेब में रखकर सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को आवश्यक हिदायत दी गई कि उक्त परिवादी को रिश्वत राशि सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों के उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू करके ही रवाना करे। जिसकी पृथक से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर दिनांक 22.02.2024 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 22.02.2024 को समय 10.50 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द, मय उपरोक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री सुखराम, अभियन्ता पर्यवेक्षक (ईएस) एवं श्री तनु शर्मा, वाणिज्यिक सहायक प्रथम एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, भास्कर हैड कानि0 59, श्री हरीश चन्द शर्मा कानि0 503, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री महेश कुमार कानि0 462, श्रीमती सुनिता हैड कानि0 148 मय परिवादी श्री सुण्डाराम मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर दो प्राईवेट वाहनों से हमराह लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब ततारपुर, जिला खैरथल-तिजारा के लिये रवाना हुआ तथा श्री रामसिंह कानि0 549 को कार्यालय में ही छोडा गया। समय 11.25 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा ततारपुर चौराहा पर पहुंचा, जहॉ पर दोनों वाहनों को साईड में खडा करवाकर परिवादी श्री सुण्डाराम को संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी के मिलने के स्थान के बारे में पूछने के लिये कहा, तो परिवादी ने अपने मोबाईल नं0 8875746634 से संदिग्ध आरोपी मनोज कुमार पटवारी के मोबाईल नं0 9694224417 पर समय 11.31 ए0एम0 पर कॉल कर वार्ता की तो संदिग्ध आरोपी मनोज कुमार ने उसे ततारपुर चौराहे पर आने के लिए कहा। इसके बाद समय 12.39 पी0एम0 पर संदिग्ध आरोपी का परिवादी के मोबाईल पर कॉल आया, जिसे परिवादी ने नही उठाया और परिवादी ने बताया कि मनोज कुमार चौराहे पर आ गया होगा इसलिए कॉल कर रहा है। इस पर समय 12.47 पी0एम0 पर परिवादी को टेपरिकार्डर चालू कर दिया तथा वाहन से उतार कर ततारपुर मैंन चौराहा पर जाने के लिये रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के दोनों वाहनों में ही बैठे हुये परिवादी पर निगरानी रखते हुये निर्धारित ईशारे के इन्तजार में अपनी पहचान छुपाते हुये ततारपुर मैन चौराहा पर मुकिम हुआ। कुछ समय बाद परिवादी बिना निर्धारित ईशारा किये ही ट्रेप पार्टी को पीछे-पीछे आने का हाथ से ईशारा कर मैन चौराहे से पैदल-पैदल खैरथल रोड की तरफ रवाना होकर चौराहे से कुछ दुरी पर एकान्त में जाकर रूक गया, जहाँ पर परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकार्डर बन्द कर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरी मनोज पटवारी से फोन पर वार्ता हुई है कि वह किसी काम से बाहर निकल गया तथा शाम को चार बजे के आस -पास फोन करके बता देगा कि कहाँ व कब मिलना है। इस मन पुलिस निरीक्षक परिवादी को अपने साथ लेकर ततारपुर चौराहे से खैरथल जाने वाले रोड पर एकान्त जगह पर ट्रेपपार्टी की पहचान छुपाते हुये संदिग्ध आरोपी का परिवादी के पास फोन आने के इन्तजार में मुकिम हुआ। तत्पश्चात चार बजे का समय निकल जाने व आरोपी का फोन ना आने पर मेरे कहने पर समय 04.30 पी0एम0 पर परिवादी ने अपने मोबाईल से संदिग्ध आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी के मोबाईल पर कॉल कर वार्ता की तो संदिग्ध आरोपी ने 10-15 मिनट में बताने के लिये कहा। इसके बाद परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज हमारे गॉव में पटवारी जी के जानकार के जलवा का प्रोग्राम है और वह उस जलवा के प्रोग्राम में आयेगा और वह मेरे से घर पर ही पैसे लेगा। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय परिवादी के दोनों वाहनों से रवाना होकर मुण्डावर रोड पर स्थित परिवादी के गॉव बडली की ढाणी में पहुंचा और अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी के पास संदिग्ध आरोपी का फोन आने के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय 06.14 पी0एम पर संदिग्ध आरोपी का परिवादी के पास फोन आया और संदिग्ध आरोपी ने परिवादी से कहा कि मैं पॉच-सात मिनट में आपके पास घर पर ही आ रहा हॅू। परिवादी व संदिग्ध आरोपी के मध्य मोबाईल पर हुई उपरोक्त समस्त वार्ताओं को

परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी को मुण्डावर रोड से परिवादी के मकान के लिये रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के अपनी-अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी के मकान के सामने ही रोड पर परिवादी के निर्धारित ईशारा के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय 06.24 पी0एम0 पर एक ब्रेजा गाडी नं0 आर0जे0 02 सी0जी0 1863 सफेद रंग आकर परिवादी के मकान पर जाने वाली पगडन्डी के सामने रोड पर रूकी और उसमें से एक नवयुवक उतरकर परिवादी के मकान पर जाने वाली पगडन्डी से रवाना होकर परिवादी के मकान पर गया। इसके बाद समय करीब 06.32 पी0एम0 पर परिवादी व उक्त नवयुवक परिवादी के मकान से साथ-साथ पगडन्डी पर चलते हुए मुण्डावर रोड की तरफ आये। मन पुलिस निरीक्षक भी मय हमराहियान के उक्त पर निगरानी रखते हुये मौका अनुसार अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारा के इन्तजार में मुकिम हुआ। दिनांक 22.02.2024 को समय 06.36 पी0एम पर परिवादी श्री सुण्डाराम पुत्र श्री प्रहलाद राम ने ततारपुर चौराहे से पेहल रोड पर स्थित ग्राम बडली की ढाणी के स्टैण्ड के पास से मैन रोड पर आकर अपने सिर पर बँधे हुये सफेद रूमाल (साफी) को सिर से हटाकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया जिसको मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम के समस्त सदस्यो द्वारा देखा गया। परिवादी का उक्त निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास उपरोक्त ग्राम बडली की ढाणी स्टैण्ड पर पहूंचा एवं मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से पूर्व मे सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त किया एवं उक्त रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्समय परिवादी के साथ एक व्यक्ति खडा था, जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया की यही श्री मनोज कुमार पटवारी है, जिन्होने अभी - अभी मेरे से अपने स्वयं के लिये 20,000/- रूपये की रिश्वत राशि मांग कर अपने बायें हाथ से ग्रहण कर उक्त राशि को बिना गिने ही अपनी पहनी हुई जाकिट की बगल की बाई जेब में रख लिये। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत करातें हुये उस व्यक्ति से उसका नाम पता पुछा तोउक्त व्यक्ति ने घबरातें हुये अपना नाम श्री मनोज कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार मेघवाल, उम्र 31 साल, निवासी ग्राम बैरोज, पुलिस थाना ततारपुर, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा हाल पटवारी, पटवार हल्का रानौठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी, पटवार हल्का रानौठ को परिवादी श्री सुण्डाराम से अभी ली गई रिश्वति राशि 20,000 /- रूपये के बारे में पूछा तो उसने बताया कि श्री सुण्डाराम ने इनकी पत्नी श्रीमती विधादेवी के नाम से एक मूल विक्रय पत्र करीब एक ढेड महिने पहले मुझे नामान्तकरण चढाने के लिए दिया था। इनका उक्त नामान्तकरण मैने करीब 13 या 14 फरवरी 2024 को चढाकर स्वीकृति हेतु ऑन लाईन ग्राम पंचायत बडली कां भिजवा दिया है। आज इनसे उक्त नामान्तकरण को चढाने की एवज मे ही मैनें अभी अभी 20 हजार रूपये अपने बांये हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई जैकिट की बांयी साईड की जेब मे रख लिये, जो अभी उक्त जैकिट की जेब मे ही रखी हुई है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने उक्त दोनो गवाहान के समक्ष उक्त आरोपी पटवारी से नामान्तकरण दर्ज करने की राजकीय शुल्क के बारे मे पूछा तो उसने नामान्तकरण दर्ज करने की राजकीय शुल्क 20 रूपये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की हुई होना बताया। घटना स्थल आम रोड होकर वहां पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त रोशनी एवं उपयुक्त स्थान नही होने के कारण आरोपी श्री मनोज कुमार के दाहिने हाथ को कलाई के ऊपर पौचे से श्री भाष्कर यादव, हैड कानि. 59 से एवं बायें हाथ को कलाई के ऊपर पौचे से श्री सुण्डा राम हैड कानि. 02 से पकडवाकर उक्त आरोपी एवं दोनों हैड कानि.गणों एवं गवाह श्री तन्नु शर्मा को अपने साथ तथा दूसरे गवाह श्री सुखराम, ब्यूरो टीम सदस्यों श्री नरेन्द्र कुमार यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री महेश कुमार कानि. एवं परिवादी को अपने हमराह लेकर अन्य वाहन में तथा आरोपी पटवारी श्री मनोज कुमार की कार में श्री हरीश कुमार कानि. को बैठाकर मौके से रवाना होकर अग्रिम कार्यवाही हेतु समय 6.50 पी.एम. पर पुलिस थाना ततारपुर पहूँचे। जहाँ पर सभी वाहनों को थाने पर खडा करवाकर वाहनों से आरोपी श्री मनोज कुमार, पटवारी, दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम सदस्यों को उतारकर उन्हें थानाधिकारी, ततारपुर के कक्ष मे लेकर गया और वहां पर बैठाया गया एवं अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। मन् पुलिस निरीक्षक ने पुलिस थाना ततारपुर में रखे पानी के कैम्पर से एक साफ प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी श्री भास्कर हैड कानि. 59 से भरवाकर मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो फ्रैश साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को निकालकर हाजरीन के समक्ष दोनो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को उक्त बोतल के साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त गिलासों में से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गैदमैला हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गैदमैला होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-1,L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी के दायां हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर उनका धोवन लिया

गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गैदमैला हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गैदमैला होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1,R-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी मनोज कुमार, पटवारी से पुनः रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो उसने अपनी पहनी हुई जैकिट की बांयी बगल की जेब में होना बताया इस पर गवाह श्री तनु शर्मा से आरोपी मनोज कुमार, पटवारी द्वारा बताये अनुसार आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी के शरीर पर पहनी हुई जैकिट की बांयी बगल की जेब की तलाशी लीवाई गई तो उक्त गवाह ने उक्त जेब से 500-500 रूपये के फोल्ड किए हुए कुछ रूपये निकाले। जिनको गिनने एवं बरामदशुदा नोटो की पहचान फर्द सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटों के नम्बरो से करने हेतु दोनो गवाहान को कहा गया तो गवाह श्री तनु शर्मा ने बरामदशुदा नोटो को गिनकर उनमे 500-500 रूपयें के 40 नोट कुल राशि 20,000 रूपये होना तथा उक्त बरामदशुदा नोटो के नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान ने फर्द सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटों के नम्बरो से हु-ब-हू होना बताया। बरामदशुदा 20 हजार रूपये की रिश्वती राशि के नोटो का विवरण फर्द मे अंकित किया गया। उक्त बरामद शुदा 20,000 रूपये के नोटो के नम्बरो का उपरोक्त नम्बरो से पुनः गावाहान से मिलान करवाकर सही होना मानते हुए नोटो के साथ एक कागज की चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त हस्ताक्षरित चिट एवं नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त रिश्वती राशि के लिफाफे को मार्क TM से चिन्हित एवं सीलचिट कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स मे से एक नए साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाया जाकर उसे साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त गिलास मे साफ पानी भरकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर उसका घोल तैयार करवाया गया एवं उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात आरोपी मनोज कुमार, पटवारी की पहनी हुई नीली रंग की जैकिट को उतरवाया जाकर उक्त आरोपी के शरीर से उतरवाई गई जैकिट की बाहर की बांयी बगल की जेब जिसमें सें रिश्वत राशि बरामद हुई है, उक्त जेब को उलटवाकर उसको घोल के गिलास मे डूबो कर उसका धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे हाजरीन ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क J-1, J-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त नीली रंग की जैकिट की तलाशी गवाह श्री तनु शर्मा से लिवाया गया तो उसमे उक्त रिश्वत राशि के अलावा अन्य कोई राशि, दस्तावेज, वस्तु इत्यादि बरामद नही हुई। जैकिट की बांयी जेब को अच्छी तरह से सुखाकर उस जेब के अन्दर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त नीले रंग की जैकिट को एक कपडे की थैली मे सुरक्षित रखवाकर उस थैली पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील कर मार्क J से चिन्हित कर वजह सबूत कब्जे लिया गया। तत्पश्चात परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्डर का स्पीकर ऑन करके चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत राशि लेन-देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सी.डी. तैयार करने की कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। परिवादी सुण्डा राम एवं आरोपी श्री मनोज कुमार, पटवारी को अलग-अलग एवं आमने सामने करके आपस मे कोई रूपयों का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने या कोई राजस्व वसूली बकाया होने के बारे में पूछा गया तो दोनो ने आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई राजस्व वसूली बकाया होने से स्पष्ट मना किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री मनोज कुमार, पटवारी ने अपनी कार मे रखे हुए रिकॉर्ड में से परिवादी द्वारा नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु पेश की गई मूल रजिस्ट्री निकालकर पेश की। जिसकी प्रमाणित फोटों प्रतियाँ जरिये फर्द कब्जे ली गई। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान उजागर हुए तथ्यों के आधार पर आरोपी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार, पटवारी पटवार हल्का रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा को समय 11.30 पी.एम. पर हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री मनोज कुमार, पटवारी पटवार हल्का रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा के परिवारजन एवं निजी रिश्तेदार को ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से मौका पुलिस थाना ततारपुर पर उपस्थित हो गये। ऐसी स्थिति में उक्त आरोपी के आवास/ निवास स्थल पर अवैध धनराशि, अवैध परिसम्पतियों के दस्तावेज ईत्यादि मिलने की कोई संभावना नही होने के कारण आरोपी के आवास / निवास की खाना तलाशी की कार्यवाही नही की गई। दिनांक 23.02.2024 को समय 12.30 ए.एम. पर बाद मौके की कार्यवाही मन पुलिस निरीक्षक ने समस्त कार्यवाही के हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाकर जरिये प्राईवेट वाहनों से मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी व गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी पटवार हल्का रानोठ मय हमराही ए.सी.बी. स्टाफ के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रेप कार्यवाही में जब्त / सीलशुदा वजह सबुत के पुलिस थाना ततारपुर से ए.सी.बी.कार्यालय अलवर के लिये रवाना होकर समय 01.15 ए.एम. पर ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आया। गिरफ्तारशुदा आरोपी को ए.सी.बी. स्टाफ की निगरानी में कार्यालय में बैठाया गया तथा कार्यवाही में जब्त/ सीलशुदा बजह

सबुतों को, ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर को कार्यालय कक्ष में रखवाया गया तथा दोनों गवाहान एवं परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। आरोपी को बाद स्वास्थ्य परीक्षण रात्रीकालिन विश्राम पुलिस थाना शिवाजी पार्क की हवालात में बन्द करवाया गया। दिनांक 23.02.2024 को समय 02.15 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष परिवादी श्री सुण्डाराम एवं आरोपी श्री मनोज कुमार, पटवारी पटवार हल्का रानोठ, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा के मध्य दिनांक 21.02.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर टेबल स्पीकर के माध्यम से सून एवं सूनकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क ''ए-1'', मार्क ''ए-2'' एवं मार्क ''ए-3'' अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री सुण्डाराम के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क ''ए-1'' व मार्क ''ए-2'' को पृथक-पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क ''ए-1'' व मार्क ''ए-2'' अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया तथा सीडी मार्क ''ए-3'' को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB के फोल्डर नं0 01 में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई। तत्पश्चात समय 05.30 ए.एम. पर परिवादी श्री सुण्डाराम एवं आरोपी श्री मनोज कुमार, पटवारी के मध्य दिनांक 22.02.2024 को रिश्वत लेन-देन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत लेन-देन के समय हुई रूबरू वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उक्त रिकार्ड वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी- बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क ''बी-1'', मार्क ''बी-2'' एवं मार्क ''बी-3'' अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री सुण्डाराम के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क ''बी-1'' व मार्क ''बी-2'' को पृथक-पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क ''बी-1'' व मार्क ''बी-2'' अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे लिया गया तथा सीडी मार्क ''बी-3'' को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री सुण्डाराम द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री मनोज कुमार, पटवारी पटवार हल्का रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल - तिजारा की आवाज की पहचान की गई। उपरोक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादी के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिपों से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 21.02.2024 को परिवादी व आरोपी श्री मनोज कुमार, पटवारी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता एवं फोल्डर नं. 2 में दिनांक 22.02.2024 को परिवादी व आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी के मध्य रिश्वत लेन-देन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ता व रिश्वत लेन-देन के समय हुई रूबरू वार्ता रिकार्ड की हुई है। उक्त वार्ताओं के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उस, एस.डी. मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। जिसकी पृथक-पृथक फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। बाद उपरोक्त कार्यवाही समय 08.45 ए0एम0 पर उक्त ट्रेप कार्यवाही मे उपयोग ली गई कार्यालय की ब्राससील नं. 51 पीतल का नमूना फर्द पर अंकित कर उसे तुडवाकर नष्ट करवाई गई। समय 09.15 ए.एम. पर कार्यवाही में जब्त/ सीलशुदा वजह सबुतों को मालखाना प्रभारी श्री हरीश चन्द कानि. 503 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। दिनांक 23.02.2024 को समय 09.30 ए.एम.पर दोनो गवाहान एवं परिवादी को ब्यूरो कार्यालययय से हमराह लेकर घटना स्थल बडली की ढाणी पर समय 10.30 ए.एम. पर पहुचकर घटना स्थल का मौका निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार कर परिवादी श्री सुण्डाराम से सम्बन्धित कोई कार्यवाही शेष नही होने से उन्हे बडली की ढाणी ही छोडकर मन पुलिस निरीक्षक मौके से मय हमराहियान के समय 11.45 ए.एम. पर मौका बडली की ढाणी से रवाना होकर समय 12.30 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय अलवर पहुंच कर दोनों गवाहान को ब्यूरों कार्यालय से रूखसत किया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी मनोज कुमार, पटवारी पटवार हल्का रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर परिवादी श्री सुण्डाराम से दिनांक 21.02.2024 को रिश्वत की माँग के सत्यापन के दौरान

परिवादी श्री सुण्डाराम द्वारा उसकी पत्नी श्रीमती विधा देवी के नाम से राजस्व ग्राम बडली मे क्रय की गई कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे नामान्तकरण दर्ज करने की एवज मे 20,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना एवं अपनी उक्त माँग के क्रम मे दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 22.02.2024 को परिवादी श्री सुण्डा राम से 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करने पर रंगे हाथों पकडे जाने एवं परिवादी से प्राप्त की गई 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि दौराने ट्रेप कार्यवाही उक्त आरोपी की पहनी हुई नीले रंग की जैकिट की बांयी साईड की बाहरी जेब से बरामद होने पर आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी पटवार हल्का रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार, जाति मेघवाल, उम्र 31 साल, निवासी बैरोज, तहसील मुण्डावर, पुलिस थाना ततारपुर, जिला खैरथल तिजारा, हाल पटवारी पटवार हल्का रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है। भवदीय (प्रेमचन्द) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने जरिये ई-मेल प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी मनोज कुमार, पटवारी पटवार हल्का रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल.तिजारा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 36/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-द्वितीय, अलवर को अनुसंधान अधिकारी नियुक्त कर प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण की रोजनामचा आम में रपट संख्या 358 पर अंकित है । (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।क्रमांकः-174-77 दिनांक 24.2.2024प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।2.जिला कलक्टर, खैरतल-तिजारा।3.पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर। उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vijay Singh Meena **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/02/2024 14:38:26

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/01/1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)